रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022025-261310 CG-DL-E-25022025-261310

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2025/फाल्गुन 6, 1946

No. 114]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

सा.का.िन. 148(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) से (ठ) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (2), धारा 10 की उप-धारा (2), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 12 की उप-धारा (1), धारा 12 की उप-धारा (3), धारा 13 की उप-धारा (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2022 की सा. का. नि. 420 (ङ) के तहत अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 में संशोधन का प्रस्ताव करती है और इसे अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा इससे सभी संभावित प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ यथाअपेक्षित प्रकाशित करती है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिन समाप्त होने के उपरांत कथित मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा।

इन मसौदा नियमों के संबंध में आपित्तयां या सुझाव, यदि कोई हों, ऊपर निर्दिष्ट अविध के भीतर निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 536, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा dsiwt-psw@gov.in और uttam.mishra27@gov.in पर भेजे जा सकते हैं;

1416 GI/2025 (1)

संशोधित मसौदा

- 1. (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 कहा जाए।
 - (2) ये नियम सरकारी गजट में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक सकल टनभार वाले जलयानों की गणना अंतर्राष्ट्रीय पोत टनभार माप कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबिक 24 मीटर से कम सकल टनभार वाले जलयानों के संबंध में गणना वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोतों का टन भार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।**"**

- 3. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में
 - i. खंड (ख) में, "अंतर्देशीय जलयान सर्वेक्षण प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर "सर्वेक्षण प्रमाणपत्र" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - ii. खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की पांच वर्ष की वैधता अविध के दौरान ड्राई डॉक या जलयानों के तल के बाहर के स्लिपवे में कम से कम दो निरीक्षण;

बशर्ते कि ऐसे किन्हीं दो निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस माह से अधिक न हो;

परंतु इसके अलावा, ड्राई डॉक या स्लिपवे में एक निरीक्षण के बदले में एक जल सर्वेक्षण की अनुमित दी जा सकती है, यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

- (i) जलयान 20 वर्ष से कम पुराना का है;
- (ii) जलयान का प्रचालन खारे पानी में नहीं किया गया है।"
- 4. उक्त नियमों के नियम 10 में:
 - i. उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्। -
 - "(1) जलयान के वार्षिक सर्वेक्षण में यह पुष्टि करने के लिए कि वे संतोषजनक स्थिति में हैं और उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए जलयान को लिया गया है, इस नियम के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट मदों का सामान्य निरीक्षण शामिल होगा।"
 - ii. उप-नियम (2) में, उप-खंड (ञ) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
 - "(ट) रेडियो और नौचालन उपकरण।"
- 5. उक्त नियमों के नियम 11 का लोप किया जाएगा।
- 6. उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (1) में, शब्द और अंक "नियम 9" के स्थान पर, शब्द और अंक "नियम 10" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

- 7. उक्त नियमों के नियम 22 में, उप-नियम (4) को हटा दिया जाएगा।
- 8. उक्त नियमों के नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "सर्वेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हताएं अंतर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षक के पास निम्नलिखित में से कोई भी अर्हता और अनुभव होना चाहिए-
- (क) समुद्री या यांत्रिक या विद्युत इंजीनियर या नौसेना वास्तुकार (आर्किटेक्ट), जिसके पास नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रथम या द्वितीय श्रेणी मोटर/स्टीम परिवहन मंत्रालय (एमओटी) प्रमाण-पत्र या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण-पत्र हो और समुद्र में नियमित आवाजाही करने वाले जलयानों या वर्गीकरण सोसाटियों या पोत निर्माण यार्डों या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नौवहन कंपनियों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य समुद्री बोर्ड या नौवहन महानिदेशालय या वाणिज्यिक समुद्री विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष में प्रथम योग्यता प्रमाण-पत्र के बाद 5 वर्ष का अनुभव हो;
- (ख) मास्टर मेरिनर (विदेश जाने वाला) जिसके पास नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर प्रमाणपत्र या समकक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद नौचालन या समुद्री प्रशिक्षण या समुद्री सर्वेक्षण में 5 वर्ष का अनुभव हो; अथवा
- (ग) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी- III [तटीय यात्रा जलयान (एनसीवी) के निकट नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी मुख्य अभियंता अधिकारी] प्रमाण-पत्र या मास्टर (तटीय यात्रा जलयान के निकट) प्रमाण-पत्र और नौचालन में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मास्टर या मुख्य अभियंता के रूप में और 5 वर्ष का अनुभव वर्गीकरण सोसाइटियों या पोत निर्माण यार्ड या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नौवहन कंपनियों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य समुद्री बोर्ड या नौवहन महानिदेशालय या वाणिज्यिक समुद्री विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष में हो; अथवा
- (घ) नौसेना वास्तुकला में मूल डिग्री के साथ समुद्र में जाने वाले नियमित जलयानों या वर्गीकरण सोसाइटियों या पोत निर्माण यार्ड या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नौवहन निगमों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष में 7 वर्ष का अनुभव;
- (ङ) पोत निर्माण में डिप्लोमा के साथ समुद्र में जाने वाले नियमित जलयानों या वर्गीकरण सोसाइटियों या प्रतिष्ठित पोत निर्माण यार्ड या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नौवहन निगमों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष में 15 वर्ष का अनुभव।"
- 9. नियम 24 हटा दिया जाएगा।
- 10. उक्त नियमों में, प्रपत्र संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्रपत्र सं. 1

अंतर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन प्रपत्र

दिनांक:	
स्थान:	
सेवा में,	
नामित प्राधिकारी	
पत्तन पर	

अंतर्देशीय जलयान (प्रकार उपदर्शित करें) के सर्वेक्षण के लिए आवेदन

मैं/हम, विधि के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, एतद्वारा आपसे नीचे दिए गए अंतर्देशीय जलयान के आरंभिक /नवीनीकरण/ ड्राई डॉर्किंग/ अतिरिक्त वार्षिक (जो लागू न हो उसे काट दें) के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं। जलयान का विवरण इस प्रकार है:

•	
1. जलयान का नाम	
2. जलयान की आधिकारिक नंबर	
3. पत्तन जहां जलयान की रजिस्ट्री की गई हो	
4. टनभार (i) पंजीकृत (ii) सकल	_(iii) निवल
5. जलयान का प्रकार	
(यात्री/यात्री-सह-कार्गो / कार्गो / टैंकर, रसायन वाहक, एलएनजी वाहक, टग, यात्री जलयान, पुशर टग, ड्रेजर- किसी अन्य प्रकार का जलयान)	डंब बार्ज, सर्वेक्षण जलयान, वर्क बोट, कैटामरन
6. जलयान की श्रेणी	
7. निर्माण का वर्ष	
8. कील लेइंग दिनांक	
9. निर्माता का नाम और पता	
10. हल आकार (एल x बी x डी x टी)	
11. पिछले सर्वेक्षण का स्थान और तारीख	
12. मुख्य नोदन मशीनों का प्रकार और ब्रिटिश हार्स पावर (बीएचपी)	
13. अन्य मशीनों का विवरण	
14. स्वामी का टेलीफोन नंबर सहित नाम और पता	
15. अभिकर्ताओं (एजेंट) का टेलीफोन नंबर सहित नाम और पता	
16. सर्वेक्षक के प्रस्तावित दौरे की तारीख और समय	
17. प्रस्तावित सर्वेक्षण का स्थान	
	स्वामी/मास्टर/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
स्टेशन	
दिनांक	

संलग्नक:

- 1. सर्वेक्षण फीस और अन्य प्रभारों के भुगतान का प्रमाण
- 2. सर्वेक्षण के पिछले प्रमाण-पत्र की प्रति
- 3. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (यदि पहले से पंजीकृत है)
- 4. प्राधिकृत व्यक्ति के प्राधिकार को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज (यदि अनुरोध कर रहा है)
- 11. उक्त नियमों के प्रपत्र संख्या 2 के अनुलग्नक में, तालिका में, अग्निशमन मद से संबंधित कॉलम में, शब्द और कोष्ठक "फायर पंप (यांत्रिक)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और प्रतीक "फायर पंप (यांत्रिक)/(इलेक्ट्रिकल)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 12. उक्त नियमों के प्रपत्र संख्या 4 और 5 में:
 - i. शब्द "इंजीनियर या इंजन चालक का नाम" के पश्चात, जहां कहीं भी वे शब्द "मैटर्स सीओसी ग्रेड" के लिए आते हैं, के स्थान पर शब्द "इंजीनियर या इंजन चालक सीओसी ग्रेड" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - ii. शब्द "मुख्य सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित" के स्थान पर शब्द "सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 13. उक्त नियमों के प्रपत्र 5 में.
 - i. शीर्षक में, शब्द "- श्रेणी क जलयान" को हटा दिया जाएगा;
 - ii. "सर्वेक्षण प्रमाण पत्र संख्या" शब्दों के पहले. "जलयान की श्रेणी " शब्द रखे जाएंगे।
- 14. उक्त नियमों में, प्रपत्र 6 को हटा दिया जाएगा।
- 15. उक्त नियमों में, प्रपत्र 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किए जाऐंगे, अर्थात्: –

प्रपत्र सं 7

नए जलयानों या पहली बार सर्वेक्षण किए जाने वाले जलयानों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

- 1. जलयान का नाम (यदि पहले से नाम है) / यार्ड सं..
- 2. स्वामी का नाम और पता
- 3. जलयान की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 16/20
- 4. जलयान का प्रकार।

(यात्री, कार्गो, कार्गो-सह-यात्री, रसायन वाहक, तरल वाहक, टग, डंब बार्ज, एलएनजी वाहक सर्वेक्षण जलयान, वर्क बोट, कैटामरन यात्री जलयान, पुशर टग, ड्रेजर या किसी अन्य प्रकार का जलयान)

- 5. पतवार के विवरण
- (क) निर्माण का वर्ष
- (ख) कील लेइंग दिनांक
- (ग) निर्माता का नाम और पता

- (घ) निर्माता का प्रमाण-पत्र
- (ङ) पतवार की सामग्री (हल्का स्टील/ एल्युमीनियम/ मिश्रित/ अन्य)
- (च) बल्कहेड्स की संख्या, उनका स्थान और मोटाई
- (छ) पतवार चढ़ाने की सामग्री और मोटाई
- (ज) फ्रेम्स (सामग्री और मोटाई)
- (झ) फर्श (सामग्री और मोटाई)
- 6. इंजनों के प्रणोदन का विवरण
- (क) लगाए गए सेटों की संख्या और क्रमांक
- (ख) विनिर्माता का नाम और ब्रांड
- (ग) मॉडल संख्या
- (घ) निर्माण का वर्ष
- (ङ) प्रत्येक के एचपी के साथ इंजन का प्रकार
- (च) स्ट्रोक सिलिंडर की मोटाई
- (छ) प्रणोदन शाफ्ट की चौड़ाई और सामग्री
- (ज) यंत्रों (गियर) का प्रकार और संख्या
- (झ) परीक्षण प्रमाण पत्र

7. उपकरण का विवरण

- (क) लंगर-पोर्ट, स्टारबोर्ड (प्रत्येक का प्रकार, नंबर, वजन और सामग्री)
- (ख) लंगर-पुर्जे (स्पेयर) (प्रत्येक उपकरण का प्रकार, नंबर, वजन और सामग्री)
- (ग) श्रृंखला (चेन) : आकार का प्रकार और लंबाई और परीक्षण प्रमाणपत्र (पोर्ट)
- (घ) श्रृंखला: आकार का प्रकार और लंबाई और परीक्षण प्रमाणपत्र (स्टारबोर्ड)
- (ङ) बांधने और खींचने (मूरिंग और टोर्किंग) की रस्सियाँ- आकार, सामग्री रस्सी की बेर्किंग तीव्रता और रस्सियों की संख्या
- (च) सर्चलाइट, संख्या, आकार और शक्ति
- (छ) जीवनरक्षक प्लाव, स्व-प्रज्वलित रोशनी के साथ उत्प्लावक उपकरण, उत्प्लावक डोरी के साथ संख्या
- (ज) नौचालन दीप का विवरण और प्रमाण-पत्र, मुख्यमस्तूल, सहायक मस्तूल, पत्तन, स्टारबोर्ड, स्टेम, लंगर, जो कमांड के अधीन नहीं है ।
- (झ) लंगर के लिए आकृतियाँ, जो कमांड आदि के अधीन नहीं हैं।
- (ञ) ध्वनिसंकेत: यांत्रिक या विद्युत

_	\sim			\sim
×	अग्निशामक	उपकरण	का	ाववरण
v.	211721111111111111111111111111111111111	O 1 1/ \ 1	111	177 1

- (क) फायर पंपों की संख्या, आकार और क्षमता 17/20
- (ख) फायर मेन्स, डायमीटर, सामग्री और हाइड्रेट की संख्या
- (ग) होजों की संख्या
- (घ) नलिका (नोज़ल)
- (i) जेट प्रकार
- (ii) स्प्रे प्रकार
- (iii) जेट/स्प्रे का प्रकार
- (ङ) कोई अन्य उपकरण
- 9. विनिर्माताओं के विवरण और नाम के साथ पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की संख्या
- (क) सोडा एसिड
- (ख) झाग (फोम)
- (ग) सूखा पाउडर
- (घ) कोई अन्य प्रकार
- 10. संचार उपकरणों के विवरण
- 11. नौचालन उपकरण का विवरण
- 12. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण
- (क) दूषित जल उपचार और निपटान
- (ख) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान
- (ग) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण
- (घ) पानी की खपत / प्रतिदिन
- (ङ) पानी का स्रोत
- 13. डेक चालकदल की संख्या इंजन चालक दल की सं.....
- 14. यात्रियों की संख्या तथा/ या कार्गो का डेडवेट
- 15. योजनाएँ, चित्र आदि :

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(2)]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2025

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9, sub-section (2) of section 10, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 12, sub-section (3) of section 12 and sub-sections (1) and (3) of section 13 read with clauses (g) to (l) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 420(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 536, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at dsiwt-psw@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

- 1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Survey and Certification) (First Amendment) Rules, 2025.
 - (2) These rules shall come into force on the date of their final publication in Official Gazette.
- 2. In the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (d) of sub-rule (1) of rule 2, the following explanation shall be inserted, namely.
- **"Explanation.** For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."
- 3. In sub-rule (1) of rule 8 of the said rules.
 - i. In clause (b), for the words "Inland Vessel Certificate of Survey", the words "certificate of survey" shall be substituted:
 - ii. In clause (c), the following shall be substituted, namely.
 - "a minimum of two inspections in dry dock or slipway, of the outside of the vessel's bottom, carried out during the five year period of validity of the certificate of survey;
 - Provided the interval between any two such inspections shall not exceed thirty-six months;
 - Provided further that one in water survey may be allowed in lieu of one inspection in dry dock or slipway, in case any of the following conditions are satisfied:
 - (i) the vessel is less than 20 years of age;
 - (ii) the vessel is not operating in saline water."
- 4. In rule 10 of the said rules:
 - i. In sub-rule (1), the following shall be substituted, namely.
 - "(1) The annual survey of the vessel shall include a general inspection of the items specified in sub-rule (2) of this rule to confirm that they are in satisfactory condition and fit for the service for which the vessel is intended."
 - ii. In sub-rule (2), after sub-clause (j), the following sub-clause shall be inserted, namely. "(k) radio and navigation equipment."
- 5. Rule 11 of the said rules shall be omitted.
- 6. In sub-rule (1) of rule 12 of the said rules, for the word and figure "rule 9", the word and figure "rule 10" shall be substituted.

- 7. In rule 22 of the said rules, sub-rule (4) shall be omitted.
- 8. In rule 23 of the said rules, the following rule shall be substituted namely. –
 "Qualifications for appointment as Surveyor. A surveyor of inland vessels shall possess any of the following
 - "Qualifications for appointment as Surveyor. A surveyor of inland vessels shall possess any of the following qualifications and experience-
 - (a) Marine or Mechanical or Electrical Engineer or Naval Architect in possession of First or Second class Motor/Steam Ministry of Transport (MOT) Certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent certificate recognized by the Government of India and 5 years of experience after first certificate of competency either in sea going regular vessels or Classification Societies or Ship Building yards or reputed International Shipping Companies or State Port Department or State Maritime Board or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent;
 - (b) Master Mariner (Foreign Going) with 5 years of sailing experience or experience in maritime training or marine survey after having obtained master's certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent international certificate; or
 - (c) Marine Engineer Officer Class III [Near Coastal Voyage Vessel (NCV) Chief Engineer Officer] Certificate or Master (Near Coastal Voyage Vessel) certificate issued by the Director General of Shipping with minimum 10 years of sailing experience of which at least 3 years experience in the capacity of Master or Chief Engineer and 5 years of experience in Classification Societies or Ship Building yards or reputed International Shipping Companies or State Port Department or State Maritime Board or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or
 - (d) a basic degree in Naval Architecture with 7 years experience in sea going regular vessels or Classification Societies or Ship Building yards or reputed International Shipping Corporations or State Port Department or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent;
 - (e) Diploma in ship building with 15 years experience in sea going regular vessels or Classification Societies or reputed Ship Building yards or reputed International Shipping Corporations or State Port Department or State Inland Waterways Authority Inland Water Transport Directorate or equivalent."
- 9. Rule 24 shall be omitted.
- 10. In the said rules, for Form No. 1, the following form shall be substituted, namely. –

"Form No. 1

Form of application for conducting survey of Inland Vessel

	Application for (indicate type) Survey of Inland Vessel
At Port	
The Designated Authority	
То	
Place:	
Date:	

I/We, the authorized persons under the law hereby apply to you to make necessary arrangement for the Initial/Renewal/Dry Docking/Additional/Annual (strike out the not applicable ones) of the Inland Vessel detailed below.

The particulars of the vessel are as under;

- 1. Name of vessel
- 2. Official no. of the vessel
- 3. Port of Registry of vessel
- 5. Type of the vessel

(Passenger/	Passenger-cum-cargo	Cargo/ Tanker,	Chemical Carrier,	LNG Carrier,	Tug,	Dumb	Barge,	Survey	Vessel,
Work Boat.	Catamaran Passenger	Vessel, Pusher	Fug, Dredger-any o	other type of ve	essel)				

- 6. Category of the Vessel
- 7. Year of Build
- 8. Keel laying Date
- 9. Name and address of Builder
- 10. Hull Dimensions (LxBxDxT)
- 11. Place and date of last survey
- 12. Type & British Horse Power (BHP) of main propulsion Machinery
- 13. Details of other machineries
- 14. Owner's name and address with telephone no. 9/20
- 15. Agents name and address with telephone no.
- 16. Date and time of proposed visit of surveyor
- 17. Place of proposed Survey

	Signature of Owner/Master/Authorized Person
Station	
Date	

Enclosures:

- 1. Proof of payment of Survey fee and other charges
- 2. Copy of last Certificate of Survey
- 3. Copy of Certificate of Registration (if already registered)
- 4. Document establishing the Authority of Authorized Person (if making request)"
- 11. In Annexure to Form No. 2 of the said rules, in the table, in the column relating to Firefighting item, for words and brackets "Fire Pumps (Mech)", the word, brackets and symbol "Fire Pumps (Mech)/(Electrical)" shall be substituted.
- 12. In Form No. 4 and 5 of the said rules:
 - i. after the words "Name of the Engineer or Engine Driver "wherever they occur, for the words "Maters COC Grade", the words "Engineer or Engine Driver COC Grade" shall be substituted;
 - ii. for the words "Signed by Chief Surveyor", the words "Signed by Surveyor" shall be substituted.
- 13. In Form 5 of the said rules,
 - i. in the heading, the words "- Category A Vessel" shall be omitted;
 - ii. before the words "Certificate of Survey No.", the words "Category of vessel_____" shall be inserted.
- 14. In the said rules, Form 6 shall be omitted.
- 15. In the said rules, for Form 7, the following form shall be substituted, namely. –

"Form No. 7

Particulars to be furnished for Survey of New Vessel or Vessels which are to be surveyed for the first time

- 1. Name of vessel (if already named)/Yard No._____
- 2. Owner's name and address

- 3. Length, breadth and depth of vessel 16/20
- 4. Type of Vessel.

(Passenger, cargo, cargo-cum-passenger, Chemical Carrier, Liquid Carrier, Tug, Dumb barge, Chemical Carrier, LNG Carrier, Tug, Dumb Barge, Survey Vessel, Work Boat, Catamaran Passenger Vessel, Pusher Tug, Dredger or any other type of vessel)

- 5. Particulars of hull
- (a) Year of built
- (b) Keel Laying Date
- (c) Builders name and address
- (d) Builders certificate
- (e) Material of the hull (Mild Steel/Aluminium/Composite/Others)
- (f) Number of Bulk heads, their placement and thickness
- (g) Hull plating material and thickness
- (h) Frames (material and thickness)
- (i) Floors (material and thickness)
- 6. Particulars of propulsion of Engines
- (a) Number of sets fitted and Sr. No.
- (b) Manufacturer's name and brand
- (c) Model Number
- (d) Year of built
- (e) Type of Engine with HP of each
- (f) Stroke_____ Cylinder diameter _____
- (g) Diameter of propulsion shaft and material
- (h) Type and Number of gears
- (i) Test certificate
- 7. Particulars of equipment
- (a) Anchor-Port, Starboard (type, number, weight & Material of each)
- (b) Anchor-Spare (type, number, weight & material of each equipment)
- (c) Chain: size type and length and test certificate (Port)
- (d) Chain: size type and length and test certificate (Starboard)
- (e) Mooring & Towing Ropes-size, material, breaking strength of rope and number of ropes
- (f) Search Lights, number, size and power
- (g) Life buoys, Buoyant apparatus with Self Ignited lights, Number with buoyant lanyard
- (h) Navigation Lights giving particulars and certificate, main mast, auxiliary mast, port, Starboard, Stem, Anchor not under command
- (i) Shapes for anchor not under command etc.
- (j) Sound signals: Mechanical or Electrical
- 8. Particulars of fire appliance
- (a) Number, size and capacity of fire pumps 17/20
- (b) Fire mains, diameter, material and number of hydrants
- (c) Number of hoses

(d) Nozzles
(i) Jet type
(ii) Spray type
(iii) Jet/Spray type
(e) Any other equipment
9. Number of portable fire extinguisher with particulars and name of manufactures
(a) Soda Acid
(b) Foam
(c) Dry Powder
(d) Any other types
10. Particulars of communication equipment
11. Particulars of navigation equipment
12. Particulars of pollution control devices
(a) Sewage treatment and disposal
(b) Solid waste processing and disposal
(c) Sound Pollution Control
(d) Water consumption/day
(e) Source of water
13. No. of deck crewNo. of engine crew
14. Number of passengers and/or deadweight of the cargo
15. Plans, Drawings, Etc.:"

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(2)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)